न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 22/2025
जीसीएमएस नम्बर 2025/48

निर्णय दिनांक 28.05.2025

श्रीराम पुत्र भींयाराम जाति सुथार निवासी इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

–वादी–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–

1. श्री राजूराम जाखड़ अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि वादी ग्राम इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का निवासी हैं। वादी ने दिनांक 06.04.1989 को भोलूराम, गणेशाराम पुत्रगण सतीदान, सांवता पुत्र मुणाराम जाति राईका निवासीगण इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 9 तादादी 22 बीघा 14 रोही मौजा इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में से पूर्वी तरफ की 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की थी तथा उसी वक्त खेत खसरा नम्बर 9 में से 11 बीघा भूमि पश्चिमी तरफ की बन्नाराम पुत्र बक्सजी जाति राईका निवासी इन्दपालसर राईकान ने खरीद की थी। वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि का इंतकाल नम्बर 52 दिनांक 25.01.1992 को वादी के पक्ष में दर्ज हुआ। वादी की उक्त वादगत खसरान की भूमि के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 2.9600 हैक्टेयर रोही मौजा ईन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। वादी द्वारा उक्त खरीदशुदा भूमि का कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग शुरू से ही विक्रय पत्र दिनांकि 06.04.1989 में वर्णित दिशाओं के अनुसार ही चला आ रहा हैं तथा वर्तमान में मौका पर विक्रय पत्र के अनुसार ही वादी के खेत के चारो तरफ बड़ी–बड़ी सीवें मौजूद हैं। वादी द्वारा खरीदशुदा भूमि के आसे पासे इस प्रकार से है:–

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
सरहद मौजा इंदपालसर हीरावतान	खसरा नं. 10 (वर्तमान ख.न. 13)	खसरा नं. 11 व 12 (वर्तमान ख.नं. 14 व 15)	शेष खेत खसरा नम्बर 9 (वर्तमान खसरा नम्बर 11)

वादी द्वारा खरीद की गई उक्त वादगत खसरान की भूमि का इंतकाल दर्ज होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से खेत खसरा नम्बर 68/9 तादादी 2.96 हैक्टेयर रोही मौजा इन्दपालसर राईकान दर्ज हुआ, जो सही रूप से दर्ज हुआ, परन्तु राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड नक्शा अक्स में तरमीम विक्रय पत्र दिनांक 06.04.1989 में वर्णित आसा पासा के अनुसार नही वादी के खेत खसरा नम्बर 9 की पश्चिमी सीमा उतर से दक्षिण की और कायम नही करके नक्शा अक्स में पूर्वी से पश्चिम तरफ गलत रूप से दर्ज कर दिया। जबकि वादी अपने खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 2.9600 हैक्टेयर की भूमि को खरीद करने के पश्चात् से ही विक्रय पत्र में वर्णित आसा पासा के अनुसार कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा हैं तथा वर्तमान में मौका पर वादी के खेत की सीमाएं विक्रय पत्र में दर्शाय आसा पासा के अनुसार कायम हैं। वादी द्वारा दिनांक 06.04.1989 को भूमि खरीद करने के पश्चात् विक्रय पत्र में वर्णित आसा पासा के अनुसार ही वादी वादगत खेत का कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग में

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

शांतिपूर्वक लगातार रूप से लेता चला आ रहा हैं। वादी अपने खरीदशुदा खातेदारी के खेत पर लगातार रूप से काश्त एवं उपयोग उपभोग करता आ रही हैं। वादी को अपने खेत में सुधार कार्य करवाने की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की जरूरत महसूस हुई तब वादी ने अपने खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 2.9600 हैक्टेयर रोही ईन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड की नकले तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ से दिनांक 12.02.2025 को निकलवाई तो वादी को पता चला कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा अक्स तरमीम करते समय वादी की पश्चिमी सीमा जो उतर से दक्षिण की और कायम होनी थी, उसको उतर से दक्षिण ओर कायम नही करके नक्शा अक्स में सीमा को पूर्व से पश्चिम कायम कर दिया गया, जो कि राजस्व कर्मचारियों की घोर लापरवाही रही, जो न्यायहित में सुधारा जाना अति आवश्यक हैं। क्योंकि राजस्व कर्मचारियों की इस गलती की वजह से वादी के खेत का नक्शा अक्स ही बदल गया, जिससे वादी को काफी परेशानियां हो रही हैं। नक्शा अक्स की गलत तरमीम होने से वर्तमान में वादी के दक्षिण की ओर खेत खसरा नम्बर 11 कायम हो गये जबकि वादी के दक्षिण में खेत खसरा नम्बर 13 कायम होने चाहिए थे तथा इसी प्रकार पूर्व में खसरा नम्बर 15 कायम हो गये जबकि वादी के पूर्व में खसरा नम्बर 14 व 15 दोनों कायम होने चाहिए थे तथा इसी प्रकार वादी के पश्चिमी तरफ खेत खसरा नम्बर 9 कायम हो गये जबकि खसरा नम्बर 11 कायम होने चाहिए थे। जिसको वादी शुद्धीकरण करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त हैं। वादी के खेत खसरा नम्बर 9मीन फिर 68/9 जिसके नये खसरा नम्बर 10 सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कायम किए जाकर उक्त खसरा नक्श अक्स में सीमाएं गलत रूप से दर्शाई गई है क्योंकि वादी की सदामद व विक्रय पत्र में वर्णित आसा पासा के अनुसार ही कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। वादी को अपने खातेदारी भूमि के नक्शा एवं रिकार्ड में परिवर्तन करवाना आवश्यक हो गया है क्योंकि बिना परिवर्तन के वादी अपनी खातेदारी भूमि का भली भांति उपयोग उपभोग नहीं कर सकेगा एवं ना ही भूमि सम्बन्धी कोई सुधार कार्य ही कर पायेगा। यही दावा का आधार व वादहेतुक हैं। वादी को जब उक्त खसरा के रिकार्ड दस्तावेजात निकलवाने पर उक्त त्रुटि का पता चला तो वादी ने दिनांक 13.02.2025 को प्रतिवादी से राजस्व नक्शा अक्स में विक्रय पत्र में वर्णित आसा पासा व मौके पर काबिजानुसार सहमति से संशोधन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व नक्शा अक्स में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा उक्त शुद्धि करने से इन्कार करने से वादी के पास प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक व शुद्धिकरण का दावा लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। वादगत खेत में वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद की हुई होने से व वादी वादगत खेत का रिर्कोडेड खातेदार काबिज कृषक काश्तकार होने से व वादी के खरीद शुदा खेत की राजस्व नक्शा अक्स में गलत तरमीम को प्रतिवादी द्वारा दुरूस्त करने से इन्कार करने से वादी को वादाधार व हेतु हासिल है। वादी उक्त राजस्व रिकार्ड नक्शा अक्स में शुद्धिकरण करवाने का अधिकारी हैं। राजस्व रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से प्रतिवादी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। दावा कृषि भूमि के राजस्व नक्शा अक्स की घोषणा व राजस्व रिकार्ड व नक्शा अक्स दुरूस्ती का होने से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार प्रतिवादी के रूप में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी. पी. सी. का दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। अगर स्टेट को दो माह नोटिस देकर इन्तजार किया गया तो वादी अपने खेत में सुधार कार्य करवाने व ऋण आदि लेने से वंचित हो जायेगा। जिससे वादी का दावा करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। धारा 80 (2) सी.पी.सी. का अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने की छूट न्यायालय श्रीमान् से प्राप्त कर ली गई है।

वादगत खेत ग्राम ईन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। वादी का दावा उचित न्याय

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

शुल्क पर व समयावधि के भीतर प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे:—

(क) कि वादगत वर्तमान खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 2.9600 हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को राजस्व नक्शा अक्स में वादी की पश्चिमी सीमा को उत्तर से दक्षिण की ओर कायम करने की घोषणा की जावें।

(ख) कि वादी के वर्तमान खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 2.9600 हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ को राजस्व नक्शा अक्स में दावा की मद संख्या 3 में वर्णित आसा पासा के अनुसार शुद्धिकरण करने का आदेश प्रतिवादी को दिया जाकर आदेश की पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

वर्तमान खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 2.9600 हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ को राजस्व नक्शा अक्स में मौका कब्जा अनुसार घोषित किया जाकर तदनुसार नक्शा अक्स दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल

उनवान

श्रीराम पुत्र भींयाराम जाति सुथार निवासी इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
—वादी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ
—प्रतिवादी—

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 22 / 2025
निर्णय दिनांक:28.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूब्रू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता राजूराम जाखड एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वर्तमान खेत खसरा नम्बर 10 तादादी 2.9600 हैक्टेयर वाकेरोही इन्दपालसर राईकान तहसील श्रीडूंगरगढ़ को राजस्व नक्शा अक्स में मौका कब्जा अनुसार घोषित किया जाकर तदनुसार नक्शा अक्स दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बावत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.. फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 28 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.06.20 11:47:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूँगरगढ